न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

अपील संख्या 12/2017

फूलकवंर पत्नि चैनसिहं जाति राजपूत निवासी अगनउ तहसील कोलायत जिला बीकानेर

— अपीलान्ट

बनाम

1— सरोजकवंर पत्नि सुमेरसिहं जाति राजपूत निवासी अगनेउ तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2— शिवसिहं }— पुत्रगण विनोदकवंर पुत्री सुमेर सिहं जाति राजपूत निवासी अगनेउ
3— मूलसिहं तहसील कोलायत
4— सोहनसिहं पुत्र श्री जोगसिहं निवासी अगनेउ तहसील कोलायत जिला बीकानेर
5— सादुलसिहं पुत्र श्री जोगसिहं निवासी अगनेउ तहसील कोलायत जिला बीकानेर
6— बलदेवसिहं पुत्र दिलीपसिहं कौम मेहरा साकिन अनोपगढ जिला गंगानगर
7— स्टेट आफ राजस्थान जरिये उपनिवेशन तहसील गजनेर कोलायत ।

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :—

1. श्री राधाकिशन स्वामी , अभिभाषक, अपीलार्थीगण
2. श्री मेहन्दीहसन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट स0 1.,2,4,5
3. श्री रामचन्द्रसिहं भाटी रेंस्पोडेन्ट स0 6 तथा रेस्पो0 स0 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यावाही ।
4. श्री जुगलकिशोर पुरोहित पैरोकारराज

—: निर्णय :—

दिनांक :—20—06—2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार उपनिवेशन, कोलायत—1 हाल उपनिवेशन तहसील, गजनेर मुकाम कोलायत की आज्ञा आदेश इन्तकाल संख्या 26 दिनांक 18—11—2014 के विरूद्व निरस्त करने हेतू दिनांक 20—09—2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

(2) संक्षेप में अपीलमीमो के निस्तारणार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाप्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट को सबूत व सुनवायी का का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल स0 26 दिनांक 18.11.2014 स्वीकार किया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट ने दिनांक 4.12.2012 को पूर्व खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट स0 5 सादुलसिहं पुत्र श्री जोगसिहं से उसकी खातेदारी हक हकूक की भूमि जो खसरा न0 66 की 40..9 बीघा भूमि व खसरा न0 321 की 25 बीघा कुल 65 बीघा भूमि मे से रेस्पोडेन्ट 5 का कुल 330.05 बीघा हिस्सा था । जिसमे से

अपीलान्ट को 6 बीघा भूमि जरिये विकय पत्र विकय कर दी । जिसमे से अपीलान्ट के नाम जरिये इन्तकाल स0 26 भूमि 330 हिस्से की 1/2 भूमि का इन्तकाल हो गया जो गलत है। अपीलान्ट केवल मात्र 6 बीघा भूमि खरीद की थी । जिसका इन्तकाल दर्ज होना था । जबकि उक्त इन्तकाल मे अपीलान्ट के नाम ज्यादा भूमि दर्ज हो गई जो कि विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) आराजी मुतनाजा पूर्व मे राजस्व खसरो मे थी उसके बाद चक बन्दी होने के दौरान यह भूमि चक 5 पी0बी0एम0 के मुरब्बा न0 234/49, 234/42, 234/50 , 234/58 की 26 बीघा भूमि फीट हुई । शेष खसरो की भूमि अन्य मुरब्बो मे फीट हुई। अपीलान्ट ने जो भूमि रेस्पोडेन्ट स0 5 से खरीद की थी जिसके कब्जा अनुसार वह भूमि भी चक 5 पी0बी0एम0 के मुरब्बा न0 234/49, 234/42, 234/50 , 234/58 की 26 बीघा भूमि मे से 6 बीघा भूमि थीं। अपीलांट एक अनपढ खेती पेशा व्यक्ति जिसे आदेश जैर अपील के बारे मे कोई जानकारी नही थीं। सर्वप्रथम दिनांक 3.9.17 को तहसील कार्यालय मे उसकी खरीदशुदा भूमि का किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड निकलाया था तो सर्वप्रथम आदेश जैर अपील के बारे मे जानकारी हुई अपीलांट ने उसी दिनांक नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया नकल बाद तैयारी दिनांक 3.9.17 को मिली। इसलिए अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी जानकारी के अभाव मे हुई जो माफी योग्य हैं। अपील अन्य ईल्म के दिन से अंदर मियाद प्रस्तुत हुई। अपीलांट रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 6 को प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया हैं जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है केवल इंतकाल सं0 26 दर्ज करते वक्त लिपिकीय भूल के आधार पर अपीलांट का हिस्सा ज्यादा दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवाकर बयनामे के अनुसार इंतकाल अपीलांट के नाम दर्ज करने का आदेश पारीत करे।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.8.14 इंतकाल सं0 26 निरस्त किया जाकर अपील मंजूर फरमाई जावें।

(4) इस अपील के नोटिस भिजवाये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से श्री मेहंदी हसन अभिभाषक तथा रेस्पोडेन्ट सं0 6 की ओर से श्री रामचंद्र सिंह भाटी अभिभाषक उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट सं0 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही है। राज्य की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख (इन्तकाल संख्या 26 की मूल प्रति) मंगवाई जाकर पत्रावली के साथ संलग्न करवाया।

(5) बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलमीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रथम जानकारी दिनांक 3–9–17 से अपील मियाद अन्दर मानने का निवेदन किया। जिसका खण्डन नही किया गया हैं ऐसे मे मियाद के प्रश्न पर हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील मे हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार की स्वीकार की जाती हैं।रेस्पोडेन्ड स0 6की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की 8.50 बीघा भूमि खरीद की हुई है।उस हद तक हमें डिस्टर्ब नही किया जावें ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया अपीलाधीन नामान्तरणकरण स026 विकय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। जो कि सादुलसिहं ने अपने हिस्से की 330.05 बीघा भूमि मे से ख0न0 321 की 6 बीघा भूमि का विकय किया है । परन्तु ना0स0 26 मे कुल 2002हिस्से के अनुसार भूमि का उक्त नामान्तरणकरण स्वीकार किया गया है। जबकि विकय पत्र में रेस्पोडेन्ट स0 5 द्वारा ख0न0 66, 321 मे कुल 65 .19 बीघा भूमि को दर्ज किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर ना0स0 26 दिनांक 18.11.2014 ग्राम/चक 5 पी0बी0एम0 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे हिस्सा–कस्सी के आधार पर नियमानुसार बाद जांच अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 20–06–2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर